न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 01 / 2025	2025 / 12	27.01.2025	23.07.2025

1– सुभाष चन्द पुत्र स्व0 कैलाश चन्द जागिड (खाती) निवासी बी–277 गणपति विहार, तिजारा फाटक अलववर (राजस्थान)
2– मन्जू पुत्री स्व0 कैलाश चन्द पत्नी सुरेश चन्द जागिड (खाती) निवासी धोलीधूप खाती बास अलववर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– राधेश्याम शर्मा पुत्र स्व0 ग्यासी,
2– बिमला देवी पुत्री स्व0 ग्यासी पत्नी प्रहलाद,
3– बीना पुत्री स्व0 ग्यासी पत्नी शिम्भूदयाल,
4– सरती देवी पत्नी स्व0 ग्यासी,
5– अमन शमा पुत्र स्व0 सीताराम शर्मा,
6– नेहा,
7– प्रीति,
8– पायल पुत्रीयान स्व0 सीताराम शर्मा,
9– बबीता देवी पत्नी स्व0 सीताराम शर्मा जागिड (खाती) निवासीयान छीपटवाडा मौहल्ला तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
10– तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा नामान्तकरण संख्या 6273 दर्ज दिनाक 23.02.2022 निर्णय दिनाक 12.04.2022 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान) जिसके द्वारा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थित
01. श्री प्रमोद यादव — वकील अपीलान्ट
02. श्री कुलदीप आहुजा — वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 5
03. अनुपस्थित — रेस्पो0 संख्या 2,3 व 6 लगा0 9

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के नामान्तकरण संख्या 6273 दर्ज दिनाक 23.02.2022 निर्णय दिनाक 12.04.2022 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 64 / 0.2000 है0, 84 / 0.7800 है0, 85 / 0.2100 है0, 86 / 0.6300 है0, 87 / 0.0100 है0, 88 / 0.2500 है0 किता 6 कुल रकबा 2.0800 है0 का सालिम भाग व हाल आराजी खसरा न0 90 रकबा 0.7800 है0 मे मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा वाके ग्राम तिजारा ग्यासी पुत्र स्योलाल की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिस पर ग्यासी अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल रहा है, ग्यासी का देहान्त दिनाक 25.10.2018 को हो गया। वारिसान काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है। मृतक ग्यासी पुत्र स्योलाल का सजरा निम्न प्रकार से है:– सरती देवी (पत्नी), बिमला (पुत्री), कृष्णा देवी (पुत्री) मृतक (सुभाष चन्द पुत्र व मन्जू पुत्री), राधेश्याम (पुत्र),

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

सीताराम (पुत्र) मृतक (अमन पुत्र, नेहा पुत्री, प्रीति पुत्री, पायल पुत्री, बबीता देवी पत्नी) बीना (पुत्री) ग्यासी के उपरोक्त वारिसान रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 व मिन अपीलान्टान की माता कृष्णा देवी को अपने पिता/पति/दादा ग्यासी से उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। आराजी पर ग्यासी के वारिसान संख्या 1 लगायत 9 व मिन अपीलान्टान की माता कृष्णा देवी काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करती रही है। उक्त आराजी में मिन अपीलान्टान की माता कृष्णा देवी का 1/6 भाग व रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/6 भाग व रेस्पोडेन्टान संख्या 5 लगायत 9 का 1/6 भाग निहित है, और इसी कदर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है। मिन अपीलान्टान की माता कृष्णा देवी का देहान्त दिनाक 31.05.2021 को हो गया जिसके बाद मिन अपीलान्टान अपने नाना ग्यासी से विरासत में मिली 1/6 भाग आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है, व समय-समय पर अपने हिस्से की आराजी की सार सम्भाल करते आ रहे है, तथा मिन अपीलान्टान का अपने नाना से विरासत से मिली आराजी पर मौके पर वास्तविक कब्जा है। मिन अपीलान्टान के मामा सीताराम का देहान्त हो गया। जिसके विधिक वारिसान रेस्पोडेन्टान संख्या 5 लगायत 9 है, जो भी अपने दादा ग्यासी से विरासत में मिली आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है। रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 ने मिन अपीलान्टान के नाना ग्यासी से विरासत में मिली आराजी के हक हकूको को जायल करने की गरज से ग्यासी की विधिक वारिसान पुत्री कृष्णा देवी के तथ्यो को छुपाते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को गुमराह कर ग्यासी की विरासत नामान्तकरण संख्या 6273 दर्ज दिनाक 23.02.2022 व निर्णय दिनाक 12.04.2022 को करके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 ने अपने नाम का बेजा अमल करा दिया गया। जिसकी जानकारी न तो मिन अपीलान्टान को होने दी और न ही तहसीलदार तिजारा ने ग्यासी के विधिक वारिसान के बारे में कोई जॉच पडताल की और न ही कोई सुनवाई का नोटिस जारी किया गया। हाल जमाबन्दी में रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 के नाम का गलत अमल चला आ रहा है। तहसीलदार तिजारा को ग्यासी के समस्त वारिसान की जॉच पडताल करनी चाहिए थी, परन्तु तहसीलदार तिजारा को रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 ने गुमराह कर केवल अपने आपको ही वारिस होना बताया व मृतक कृष्णा देवी पुत्री ग्यासी के बारे में कोई जानकारी नही दी और गलत तौर पर ग्यासी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज व मन्जूर किया व रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 के नाम का गलत अमल आया है। मृतक ग्यासी की मिन अपीलान्टान की माता कृष्णा देवी विधिक जायद वारिस थी, जिसका देहान्त ग्यासी के बाद दिनाक 31.05.2021 को हुआ और कानूनन तहसीलदार तिजारा को मृतक ग्यासी के विधिक वारिसान की जॉच पडताल कर मिन अपीलान्टान के नाम भी ग्यासी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज व मन्जूर कर राजस्व रिकार्ड में अमल आना चाहिऐ था। विरासत का नामान्तकरण संख्या 6273 प्रारम्भ से ही गलत तौर पर दर्ज व मन्जूर किया गया था, और उसके आधार पर रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 के के नाम का अमल आया है। तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 6273 दर्ज दिनाक 23.02.2022 निर्णय दिनाक 12.04.2022 वाके ग्राम तिजारा की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी, मिन अपीलान्टान को अपनी पारिवारिक जरूरत के लिए अपने नाना से विरासत मे मिली आराजी को बैंक में रहन रखकर लोन लेने की जरूरत हुई जिस पर मिन अपीलान्टान ने हल्का पटवारी के पास जाकर विवादित आराजी की जमाबन्दी का अवलोकन किया तो पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 के नाम का अमल होना बताया गया। जिस पर मिन अपीलान्टान ने वर्णित आराजी से सम्बधित जमाबन्दी व विरासत का नामान्तकरण संख्या 6273 की नकल प्राप्त कर कानूनी राय मशवरा किया तो गलत अमल की जानकारी सामने आयी। जिस पर मिन अपीलान्टान ने दिनाक 28.12.2022 को रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 से गलत अमल को दुरूस्त कराने को कहा तो रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 ने साफ तौर से इन्कार कर दिया गया। तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 ने ऐलानिया तौर से धमकी दी की नामान्तकरण में वर्णित आराजी रिकार्ड में हमारे नाम है, व विवादित आराजी को किसी दीगर जगह रहन बैय हिब आदि से मुन्तकिल कर अपीलान्टान को जबरन बेदखल करेगे। अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 28.12.2022 से आदिनाक तक की अवधि कन्डोन की जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 5 वक्त बहस उपस्थित नही हुऐ, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना के अपरस्थित नही शेष रेस्पोडेन्टान संख्या 2, 3 व 6 लगा0 9 रजिस्ट्रड नोटिस जारी

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

करने के उपरान्त भी उपस्थित नही हुऐ। रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 तलवी पुनः जर्ये अखबार स्याहा से करायी गयी। इसके उपरान्त भी उपस्थित नही हुऐ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 6273 दर्ज दिनाक 23.02.2022 निर्णय दिनाक 12.04.2022 वाके ग्राम तिजारा जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 23.01.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 9 माह 10 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब के मामलो में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात ग्यासी पुत्र स्योलाल की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिस पर ग्यासी अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल रहा है, ग्यासी का देहान्त दिनाक 25.10.2018 को हो जाने के उपरान्त वारिसान काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है। वारिसान रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 व अपीलान्टान की माता कृष्णा देवी को अपने पिता/पति/दादा ग्यासी से उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। आराजी पर ग्यासी के वारिसान संख्या 1 लगायत 9 व अपीलान्टान की माता कृष्णा देवी काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करती रही है। अपीलान्टान की माता कृष्णा देवी का 1/6 भाग व रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/6 भाग व रेस्पोडेन्टान संख्या 5 लगायत 9 का 1/6 भाग निहित है, अपीलान्टान की माता कृष्णा देवी का देहान्त दिनाक 31.05.2021 को हो गया जिसके बाद मिन अपीलान्टान अपने नाना ग्यासी से विरासत में मिली 1/6 भाग आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है, व समय–समय पर अपने हिस्से की आराजी की सार सम्भाल करते आ रहे है, तथा अपीलान्टान का अपने नाना से विरासत से मिली आराजी पर मौके पर वास्तविक कब्जा है। अपीलान्टान के नाना ग्यासी से विरासत में मिली आराजी के हक हकूको को जायल करने की गरज से ग्यासी की विधिक वारिसान पुत्री कृष्णा देवी के तथ्यो को छुपाते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को गुमराह कर ग्यासी की विरासत नामान्तकरण संख्या 6273 दर्ज दिनाक 23.02.2022 व निर्णय दिनाक 12.04.2022 को करके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 ने अपने नाम का बेजा अमल करा दिया गया। तहत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा विवादित नामान्तकरण 6273 दिनाक 23.02.2022 को खोला गया है, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 07.03.2022 को जॉच कर रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 के पक्ष दर्ज किया गया तथा भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनाक 10.03.2022 को जॉच की गयी है। नामान्तकरण बाद जॉच वास्ते निर्णय हेतु तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी को भिजवाया गया पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 04.12.2022 को रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 9 के पक्ष में नामान्तकरण निर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा वारिसान की विस्तृत जॉच नही की गयी पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है, तहसीलदारा तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनाक नामान्तकरण संख्या 6273 दर्ज दिनाक 23.02.2022 निर्णय दिनाक 12.04.2022 वाके ग्राम तिजारा जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत तहसीलदार तिजारा को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)